

किफायती आवास निधि (एएचएफ)

किफायती आवास निधि (एएचएफ) के तहत यथा 24-02-2022 तक रा.आ.बैंक के पास उपलब्ध निधियों की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

(₹ करोड़ में)

	एएचएफ
उपलब्ध निधियां	1376.715

योजना का विवरण रा.आ.बैंक की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित संस्थाएं रा.आ.बैंक से पुनर्वित्त के लिए पात्र होंगी अर्थात: आवास वित्त कंपनियां, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहरी सहकारी बैंक, स्माल फाइनेंस बैंक, शीर्ष सहकारी आवास वित्त समितियां और कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।

जिन दरों पर राष्ट्रीय आवास बैंक प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों (पीएलआई) को ऋण देगा और एएचएफ के तहत उस पर ब्याज प्रभारण सीमा नीचे दी गयी है, 31-03-2022 तक मान्य:

निधि	ब्याज दर (स्थिर)	ब्याज प्रभारण सीमा
एएचएफ (वर्ष 2020-21)	2.94 % प्रति वर्ष	9.954% (31-12-2021 यानी 6.454 % पर 10 साल की जी-सेक उपज पर 350 बीपीएस)

X-X-X